भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2215
जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

फास्ट ट्रैक न्यायालय

2215. श्री केसिनेनि शिवनाथः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) निर्भया निधि के अंतर्गत देश भर में स्थापित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की राज्यवार कुल संख्या कितनी है ;

(ख) एफटीएससी की स्थापना से लेकर अब तक उनके माध्यम से दायर किए गए और निपटाए गए मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(ग) इन फास्ट ट्रैक न्यायालयों के समक्ष लाए गए मामलों के निपटान में लगने वाले औसत समय का ब्यौरा क्या है ;

(घ) इन फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना और संचालन के लिए राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित, अनुमोदित और संवितरित की गई है ;

(ङ) क्या सरकार ने इन एफटीएससी में अवसंरचना को सुदृढ़ करने, रिक्त पदों को भरने और मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : न्याय विभाग बलात्संग के मामलों और पॉक्सो अधिनियम के अधीन मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना हेतु एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम लागू कर रहा है। इस स्कीम को दो बार बढ़ाया जा चुका है, जिसमें नवीनतम विस्तार 31 मार्च 2026 तक है, जिसके अंतर्गत

790 न्यायालयों की स्थापना के लिए 1952.23 करोड़ रुपये का परिव्यय है, जिसमें से 1207.24 करोड़ रुपये निर्भया कोष से केंद्रीय अंश के रूप में खर्च किए जाएंगे।

उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 29 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में (30.06.2025 तक) 392 विशिष्ट पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित 725 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। स्कीम की शुरुआत से अब तक इन न्यायालयों ने 3,34,213 मामलों का निपटारा किया है। ई-पॉक्सो न्यायालयों सहित कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालय का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण और इन न्यायालयों द्वारा अपनी स्थापना के बाद से शुरू किए गए और निपटाए गए मामलों की संख्या **उपाबंध-1** में दी गई है।

(ग) : उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) द्वारा मामलों के निपटारे में लगने वाले औसत समय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **उपाबंध-2** में दिया गया है। न्यायालयों में मामलों के निपटारे में देरी के कई कारण हैं, जिनमें भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, शामिल तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों जैसे बार, अन्वेषण अभिकरणों, गवाहों और वादियों का सहयोग और नियमों व प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग शामिल हैं। मामलों के निपटारे में देरी के अन्य कारणों में बार-बार स्थगन और मामलों की निगरानी, ट्रैकिंग और सुनवाई के लिए उन्हें समूहबद्ध करने की पर्याप्त व्यवस्था का अभाव शामिल है।

(घ) : इस स्कीम के अंतर्गत, प्रति न्यायालय 1 न्यायिक अधिकारी और 7 सहायक कर्मचारियों के वेतन और न्यायालय के दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए लचीले अनुदान के लिए सीएसएस पैटर्न (केंद्रीय हिस्सा: राज्य हिस्सा: 60:40, 90:10) पर धनराशि जारी की जाती है। विभाग ने स्कीम की शुरुआत से अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1034.55 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। केंद्रीय सरकार द्वारा आवंटित बजट और जारी धनराशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :

(रुपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	**आवंटित बजट**	**जारी निधि**
2019-20	140.00	140.00
2020-21	160.00	160.00
2021-22	180.00	134.55*
2022-23	200.00	200.00
2023-24	200.00	200.00
2024-25	200.00	200.00
2025-26	200.00	-
कुल		**1034.55**
*कोविड लॉकडाउन और पीएफएमएस के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों के कारण 2021-22 में आवंटित बजट के मुकाबले कम धनराशि जारी की गई		

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधि संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कार्यरत न्यायालयों की संख्या के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाती है। स्कीम की शुरुआत से अब तक जारी केंद्रीय निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण **उपाबंध- 3** में दिया गया है।

(ङ) और (च) : केंद्रीय सरकार ने त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों में अवसंरचना को समर्थन देने और मामलों के निपटान में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं:

i. न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) सहित जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए न्यायालय हॉल, आवासीय इकाइयाँ, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष बनाने में राज्यों के प्रयासों का पूरक है। वर्ष 2014 में 15,818 न्यायालय हॉल और 10,211 आवासीय इकाइयों से, उपलब्ध न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों की संख्या क्रमशः 2,2372 (41.43% वृद्धि) और 19,851 (94.40% वृद्धि) हो गई है। इसके अतिरिक्त, 3,128 न्यायालय हॉल और 2,772 आवासीय इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं।

ii. त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) के कामकाज को मजबूत करने के लिए, राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्र और उच्च न्यायालयों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। माननीय विधि एवं न्याय मंत्री ने माननीय मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियो को पाक्सो अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन समय पर कार्रवाई और समयसीमा के सख्त अनुपालन की आवश्यकता के संबंध में पत्र लिखा है। इसके अतिरिक्त, अंतर-राज्यीय क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में एफटीएससी का प्रदर्शन अंतर-सरकारी समन्वय में सुधार और न्याय वितरण में तेजी लाने के लिए एक नियमित कार्यसूची मद है।

जहाँ तक त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) में न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भर्ती का प्रश्न है, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों (एफटीएससी सहित) में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरना राज्य सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों का उत्तरदाईत्व है। संवैधानिक ढाँचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ अनुच्छेद 309 के उपबंध के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकारें, उच्च न्यायालय के परामर्श से, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के संबंध में नियम और विनियम बनाती हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जनवरी 2007 में मलिक मज़हर सुल्तान मामले में पारित आदेश के अधीन, अन्य बातों के साथ-साथ, कुछ समय-सीमाएँ निर्धारित की हैं, जिनका पालन राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए किया जाना है।

****

उपाबंध 1

अनन्य पाक्सो न्यायालयों सहित कार्यरत त्वरित निपटान विशेष न्यायालय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण तथा स्थापना के बाद से स्थापित और निपटाए गए मामलों की संख्या (30.06.2025 तक)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्रियात्मक न्यायालय		स्कीम के आरंभ से संस्थित किए गए मामले	स्कीम के आरंभ से अब तक संचयी निपटान
		अनन्य पाक्सो सहित एफटीएससी	अनन्य पाक्सो		
1	आंध्र प्रदेश	16	16	13790	7487
2	असम	17	17	15378	8943
3	बिहार	46	46	35691	17232
4	चंडीगढ़	1	0	588	374
5	छत्तीसगढ	15	11	8167	6428
6	दिल्ली	16	11	6278	2718
7	गोवा	1	0	271	116
8	गुजरात	35	24	21931	16616
9	हरियाणा	18	14	12507	8087
10	हिमाचल प्रदेश	6	3	2050	1407
11	जम्मू - कश्मीर	4	2	808	311
12	कर्नाटक	30	17	19251	14031
13	केरल	55	14	32494	26202
14	मध्य प्रदेश	67	56	42826	32113
15	महाराष्ट्र	2	1	21034	20744
16	मणिपुर	2	0	243	194
17	मेघालय	5	5	1830	733
18	मिजोरम	3	1	344	269
19	नागालैंड	1	0	127	68
20	ओडिशा	44	23	29319	20254
21	पुदुचेरी	1	1	380	162
22	पंजाब	12	3	6716	5265
23	राजस्थान	45	30	24324	19432
24	तमिलनाडु	14	14	15433	10199
25	तेलंगाना	36	0	20161	11379
26	त्रिपुरा	3	1	713	489
27	उत्तराखंड	4	0	3024	1930
28	उत्तर प्रदेश	218	74	184159	91459
29	पश्चिमी बंगाल	8	8	5611	457
30	झारखण्ड*	0	0	13324	9114
31	अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह**	0	0	0	0
32	अरुणाचल प्रदेश***	0	0	0	0
	कुल	**725**	**392**	**538772**	**334213**

टिप्पण: स्कीम की शुरुआत में, देश भर में त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) का आवंटन प्रति न्यायालय 65 से 165 लंबित मामलों के मानदंड पर आधारित था, अर्थात प्रत्येक 65 से 165 लंबित मामलों के लिए एक त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित किया जाएगा। इसके आधार पर, केवल 31 राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र ही इस स्कीम में शामिल होने के पात्र थे।

*झारखंड राज्य ने त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) स्कीम से बाहर निकलने का फैसला किया है। तथापि, स्कीम की शुरुआत से लेकर मई 2025 तक 9,114 मामलों के संचयी निपटान को त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) स्कीम के अधीन दर्ज किए गए समग्र निपटान आंकड़ों में शामिल किया जाना जारी रहेगा।

** अंदमान और निकोबार द्वीप समूह ने इस स्कीम में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है, लेकिन अभी तक कोई भी न्यायालय चालू नहीं हुई है।

*** अरुणाचल प्रदेश ने बलात्संग और पाक्सो अधिनियम के लंबित मामलों की बहुत कम संख्या का हवाला देते हुए इस स्कीम से बाहर होने का विकल्प चुना है।

उपाबंध 2

बलात्संग और पाक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) द्वारा लिया गया औसत समय दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एफटीएससी में सुनवाई में लगने वाला औसत समय (दिन में)	
		बलात्संग	पाक्सो
1	आंध्र प्रदेश	-	257
2	असम	-	940
3	बिहार	-	941
4	चंडीगढ़	760	425
5	छत्तीसगढ	365	300
6	दिल्ली	1562	1717
7	गोवा	730	365
8	गुजरात	1716	869
9	हरियाणा	605	545
10	हिमाचल प्रदेश	407	462
11	जम्मू -कश्मीर	1095	730
12	झारखंड	730	545
13	कर्नाटक	910	724
14	केरल	999	594
15	मध्य प्रदेश	365	395
16	महाराष्ट्र	-	575
17	मणिपुर	1395	1305
18	मेघालय	-	910
19	मिजोरम	-	1155
20	नागालैंड	-	1185
21	ओडिशा	439	560
22	पुदुचेरी	-	180
23	पंजाब	650	530
24	राजस्थान	1028	732
25	तमिलनाडु	-	466
26	तेलंगाना	461	408
27	त्रिपुरा	2097	871
28	उत्तराखंड	508	517
29	उत्तर प्रदेश	606.41	1116.27
30	पश्चिमी बंगाल	-	910
31	अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-	-
32	अरुणाचल प्रदेश	-	-

*स्रोत: उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार

उपाबंध 3

एफटीएससी स्कीम की शुरुआत से अब तक जारी केंद्रीय हिस्से का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20 में जारी की गई राशि	2020-21 में जारी की गई राशि	2021-22 में जारी की गई राशि	2022-23 में जारी की गई राशि	2023-24 में जारी की गई राशि	2024-25 में जारी की गई राशि
1	आंध्र प्रदेश	1.8	0	0	0	0	0
2	असम	2.85625	1.86875	3.375	6.7325	5.528655	10.975085
3	बिहार	2.025	15.26255	20.25	11.895	9.874035	11.35878
4	चंडीगढ़	0.1875	0	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ	3.375	3.375	4.259	3.93	3.25215	3.70395
6	दिल्ली	3.6	0	0	4.2225	3.46896	1.97544
7	गोवा	0.225	0	0	0.47255	0.21681	0.49386
8	गुजरात	7.875	7.875	0	9.26	7.58835	8.64255
9	हरियाणा	3.6	3.6	3.6	4.2225	3.46896	7.90176
10	हिमाचल प्रदेश	1.0125	1.51875	0	2.375	1.95129	2.22237
11	जम्मू - कश्मीर	0.5625	0	2.635	1.58	2.32086	1.48158
12	झारखण्ड	4.95	4.95	0	5.825	4.76982	0
13	कर्नाटक	6.975	0	6.635	7.3925	7.45091	7.65483
14	केरल	8.4	0	0	7.405	25.39836	13.58115
15	मध्य प्रदेश	15.075	15.075	26.175	17.72	15.37627	16.54431
16	महाराष्ट्र	31.05	0	0	8.72	6.59259	1.23465
17	मणिपुर	0.675	0.675	0.3375	0.785	0.65043	0.74079
18	मेघालय	1.6875	0	0	1.977	1.626075	1.851975
19	मिजोरम	1.0125	1.0125	2.02625	1.18	0.975645	1.111185
20	नागालैंड	0.3375	0.3375	0	0.3875	0.325215	0.370395
21	ओडिशा	5.4	1.3	16.2	11.64	9.52128	10.86492
22	पुदुचेरी	0	0	0.1125	0	0.195975	0.24693
23	पंजाब	2.7	0	0	4.312	3.95972	5.92632
24	राजस्थान	5.85	14.4	19.745	11.895	21.1383	22.2237
25	तमिलनाडु	3.15	3.15	2.59	6.6225	6.496035	6.91404
26	तेलंगाना	8.1	0	0	8.9875	7.60671	4.44474
27	त्रिपुरा	1.0125	1.0125	0	1.1725	0.975645	1.111185
28	उत्तराखंड	2.7	0	2.092	1.53	1.30086	1.48158
29	उत्तर प्रदेश	13.80625	84.29375	24.525	57.68	47.26458	53.83074
30	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0.70551	1.111185
31	अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
32	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
	कुल	**140.00**	**159.706**	**134.5573**	**199.92155**	**200.00**	**200.00**
	तृतीय पक्ष मूल्यांकन लागत		**0.29**		**0.07788**		
	कुल योग	**140.00**	**160.00**	**134.55**	**200.00**	**200.00**	**200.00**

टिप्पण: चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है; तथापि, अभी तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

****